

**बिहार सरकार**  
**वाणिज्य-कर विभाग**

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / वि०पत्रा०—24—82 / 2023

पटना, दिनांक:—

श्रीमती अफशा पर्वेज, राज्य कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 15.08.2026 से 02.09.2026 तक कुल 19 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती पर्वेज के अवकाश लेखा में (126—19=107) एक सौ सात दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / —

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—6 / वि०पत्रा०—24—82 / 2023 3360 पटना, दिनांक:—01/09/26

प्रतिलिपि :— वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / एच० आर० एम० एस० (एडमीन), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / एच०आर० मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की एच०आर०एम०एस० पोर्टल पर उक्त अवकाश के पश्चात् शेष आदेयता की अद्यतन प्रविष्टि कर लेंगे / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / श्रीमती अफशा पर्वेज, राज्य कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन अवकाश उपभोग के उपरान्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।